छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक–एफ–1–108/राजस्व/राहत/2015 नया, रायपुर दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–बस्तर/दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ ।

विषयः सूखा प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र– 6–4 के तहत आर्थिक सहायता वितरण करने के संबंध में ।

संदर्भः (1)कलेक्टर, बस्तर का पत्र क्रमांक 1737/भू–अभिलेख/सअभूअ/2015 दिनांक 21.12.2015

(1)कलेक्टर, दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक 5991 दिनांक 21.12.2015

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया अपने संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा यह बताया गया है, कि विभागीय पत्र क्रमांक–5745/2015 दिनाक 2.11.2015 की कंडिका 6.5 में यह निर्देश दिया गया है, कि **"कुल भूमि के आधार पर अनुदान मिलने की पात्रता होगी तथा बोये गये रकबे के आधार पर अनुदान राशि का निर्धारण होगा ।"** उपरोक्त कारणों से आपके द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया है, कि सूखा प्रभावित किसानों को बोये गये रकबे के आधार पर अनुदान दिया जावेगा या प्रभावित क्षेत्र के रकबे के आधार पर ? आपके द्वारा यह उदाहरण भी दिया गया है, कि 10 हे. के कृषक के द्वारा 8 हे. में फसल बोया गया है, जिसमें 5 हे. भूमि का फसल सूखा प्रभावित हो, तो उन्हें 5 हे. भूमि के लिये सहायता दिया जावे अथवा 8 हे. भूमि के लिये ?

2. उक्त संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के **"परिशिष्ट–एक"** की कंडिका–एक (ब) निम्नानुसार हैः–

सरल क्रमांक	फसल हानि	33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर सहायता अनुदान
1	2 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को कृषि, उद्यानिकी तथा वार्षिक वृक्षारोपण वाली फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	असिंचित भूमि के लिये–6,800/– प्रति हे. सिंचित भूमि के लिये –13,500/– प्रति हे. न्यूनतम सहायता–1,000/– से कम नहीं होगी, बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित ।
4.	2 हे. से 10 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को कृषि, उद्यानिकी तथा वार्षिक वृक्षारोपण वाली फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	असिंचित भूमि के लिये– 6,800/– प्रति हे. सिंचित भूमि के लिये –13,500/– प्रति हे. ।

3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के उपर दर्शित प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि सरल कमांक–1 के प्रावधान के तहत 2 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने की पात्रता बनती है तथा सरल कमांक–4 के तहत 2 हे. से 10 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने की पात्रता बन जाती है । दोनों ही मामलों में सहायता राशि की दर एक समान है ।उक्त सीमा तक भूमि धारण करने वाले व्यक्ति को 33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर असिंचित भूमि के लिये –6800/–रूपये प्रति हेक्टर तथा सिंचित भूमि के लिये –13,500/– रूपये प्रति हेक्टर की दर से बोनी के क्षेत्रफल के आधार पर सहायता प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गई है । इसका तात्पर्य यह है, कि जिस व्यक्ति की जितने रकबे में बोया गया फसल 33 प्रतिशत से अधिक प्रभावित होगा, उसे उतने प्रभावित रकबे के लिये सहायता की पात्रता होगी । अप्रभावित रकबा के लिये सहायता की पात्रता नहीं होगी । आपके उदाहरण में 10 हे. के किसान ने 8 हे. में फसल बोया, जिसमें से 5 हे. भूमि की फसल सूखा प्रभावित है, तो उसे 5 हे. भूमि के लिये सहायता दी जावेगी, 8 हे. के लिये नहीं ।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है, कि अनुदान का निर्धारण सूखा प्रभावित क्षेत्र के रकबे के आधार पर किया जावेगा । जो रकबा सूखा प्रभावित नहीं है, उसके लिये अनुदान नहीं दिया जावेगा । कृपया उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखकर अग्रेतर कार्यवाही करें ।

(के.आर.पिस्दा)
सचिव 22/12/2015
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क.–एफ–1–108/राजस्व/राहत/2015 नया, रायपुर दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । यदि आपके जिले में भी ऐसी भ्रम की स्थिति हो, तो उसका निराकरण उपरोक्तानुसार दर्शाये अनुसार करना सुनिश्चित करें ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन 22/12/2015
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग